

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 01-03/2016/दो-ए (3)
प्रति,

भोपाल, दि. 23/05/2016

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-भोपाल।
4. सचालक, कोष एवं लेखा, भोपाल।
5. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, मंत्रालय, वल्लभ भवन एवं विद्याचल भवन, भोपाल।
7. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।

विषय :— भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000 में संशोधन।

—00—

विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा “भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000”
में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन किया गया है। यह संशोधन तत्काल प्रभावशील हो गया है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

१२५८

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23/05/2016

क्रमांक एफ 01-03/2016/दो-ए (3) :: राज्य शासन द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, अर्थात्-

संशोधन आदेश

उक्त नियमों में,

1. अध्याय-2 सामान्य पूल के आवास नियम-10 (2) (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

- 2(क) ऐसे शासकीय आवास 03 वर्ष की कालावधि के लिये आवंटित किये जा सकेंगे।
- (ख) सामाजिक संस्थाओं अथवा राजनीतिक पार्टियों के स्वयं के कार्यालय भवन, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित होने पर उन्हें आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।
- (ग) ऐसे व्यक्ति, सामाजिक संस्थाओं अथवा राजनीतिक पार्टियों को आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी जिन्हें राज्य शासन द्वारा उनके निवास/कार्यालय के लिये भोपाल में कोई प्लाट आवंटित किया गया है।
- 3(क) तीन वर्ष की अवधि के अवसान पर आवंटिती के पात्र होने पर आवंटन को पुनः 03 वर्ष के लिये नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- (ख) ऐसे व्यक्ति, सामाजिक संस्थाएं अथवा राजनीतिक पार्टियों जिन्हें पूर्व में आवंटित आवास गृह के आवंटन अवधि का अवसान हो चुका है और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया, को उनके द्वारा धारित आवास पुनः इन नियमों के अंतर्गत आवंटन किया जा सकेगा, बशर्ते वह अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि की उक्त श्रेणी के लिए देय लायसेंस शुल्क से दोगुनी राशि एकमुश्त जमा कर दे।

2. अध्याय-2 सामान्य पूल के आवास नियम-10 (4) (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाय अर्थात् :-

(क) प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक पार्टियों को भी उनके लिये गठित पूल में से शासकीय आवास आवंटित किए जा सकेंगे। इस पूल में अधिकतम 40 शासकीय आवास होंगे।

3. अध्याय-छ: प्रेस पूल के नियम-15 (1) (2) (ख) (4) (5) एवं (6) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

(1) प्रेस पूल में शासकीय आवासों की संख्या पूर्ववत् 230 रहेगी तथा यह आवास गृह "ई" टाईप अथवा उससे निम्न श्रेणी के होंगे।

(2)(ख) किसी पत्रकार को अगर भोपाल नगर निगम क्षेत्र में पूर्व में आवास के लिए शासकीय भूमि पत्रकारों की गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से आवंटित की गई हो अथवा जिसका स्वयं का निजी आवास गृह नगर निगम सीमा में स्थित हो, तो वह इस कारण से आवंटन के लिए अपात्र नहीं माना जावेगा, परन्तु ऐसे पत्रकार को आवास गृह का प्रेस पूल के लिए निर्धारित सामान्य दर से दोगुनी राशि के बराबर लायसेंस शुल्क देय होगा।

(4) प्रेस पूल के अंतर्गत पत्रकारों को आवास आवंटित करने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर अपनी अनुशंसाएं गृह विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1. मंत्री, जनसम्पर्क | — | अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव, गृह | — | सदस्य |
| 3. प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क | — | सदस्य |
- आयुक्त, जनसम्पर्क समिति के संयोजक रहेंगे।

पत्रकारों की पात्रता के संबंध में समिति मापदण्ड स्वयं निर्धारित कर सकेगी तथा उन्हीं मापदण्डों के अनुसार शासकीय आवास आवंटित किए जावेंगे।

(5)(क) प्रेस पूल के आवासों के आवंटिति को शासकीय आवास अधिकतम 03 वर्ष की कालावधि के लिए आवंटित किये जावेगे। समिति की अनुशंसा पर इस आवंटन को पुनः 03 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(ख) प्रेस पूल के अंतर्गत वर्तमान में शासकीय आवास गृहों में निवासरत् ऐसे पत्रकार जिनके पक्ष में पूर्व में जारी आवंटन की अवधि का अवसान हो चुका है तथा उन्हें आवास पुनः गृह विभाग द्वारा आवंटित नहीं हुए हैं परन्तु वह इन आवासों में निवासरत् हैं, के आवेदन पत्रों पर भी उक्त समिति द्वारा विचार किया जावेगा। ऐसे पत्रकार यदि आवंटन के लिए पात्र पाये जाते हैं, तो अनाधिकृत आधिपत्य की अवधि की प्रेस पूल के लिए निर्धारित लायसेंस शुल्क से दुगनी राशि उनके द्वारा एकमुश्त जमा किये जाने पर शासकीय आवास आवंटित किया जा सकेगा।

(6) प्रेस पूल के आवास आवंटिति को प्रारूप-4 में अनुबंध पत्र निष्पादित कर 02 माह का अग्रिम लायसेंस शुल्क जमा कराना होगा। शासकीय आवासों का उक्त आवंटन गृह विभाग द्वारा प्रेस पूल के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर किया जावेगा।

4. अध्याय-छ: प्रेस पूल के नियम-15 (7) के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

(7) प्रेस पूल के अंतर्गत आवंटित शासकीय आवास ऐसे आवंटिति से रिक्त कराये जा सकेंगे :-

1. जिनके समाचार पत्र वर्तमान में नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं,

अथवा

2. जो स्वयं पत्रकार के रूप में सक्रिय नहीं है,

अथवा

3. जो आवंटन की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है।

शासकीय आवास रिक्त कराने की कार्यवाही गृह विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत करने के लिए सक्षम होगा।


(लक्ष्मीनारायण द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग